कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री दीपक सारस्वत, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापराडी, आमेर जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानासर जिला बाडमेर एवं श्री ओमप्रकाश दोतानिया, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुनावली, जिला चित्तौडगढ को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापराडी, आमेर, जयपुर में स्थानान्तरित किया गया था। तत्पश्चात इनकी परिवेदना(गुर्दा रोग डायलिसिस) को स्वीकार करते हुए इनका स्थानान्तरण संशोधन करते हुए इनका पदस्थापन राउमावि थानवाला, देवली जिला टोंक किया गया था। श्री सारस्वत द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.19 के विरूद्ध श्री दीपक सारस्वत द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3879/2019 दीपक सारस्वत बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3879/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री दीपक सारस्वत के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी श्री दीपक सारस्वत के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने के फलस्वरूप श्री दीपक सारस्वत को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापराडी, आमेर जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रखे जाने एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित श्री ओमप्रकाश दोतानिया का अन्तरिम समायोजन दोहरे पदस्थापन की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थांवला (**THANWALA**),, देवली जिला टोंक में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है । उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील /दीपक सारस्वत/3879/2019 दिनांकः25.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर ।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)